ISSN 0975-4083

रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइन्सेस

Peer-Reviewed Research Journal
UGC Journal No. (Old) 2138 Impact Factor 4.875 (IIFS)
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory
ProQuest, U.S.A. Title Id : 715204

अंक - 22, हिन्दी संस्करण, वर्ष-11, अक्टूबर-मार्च 2022

Centre for Research Studies
REWA (M.P.)

2022

www.researchjournal.in

आई. एस. एस. एन. 0975-4083

रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइन्सेस

Peer-Reviewed Research Journal
UGC Journal No. (Old) 2138
Impact Factor 4.875
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest, U.S.A. Title Id : 715204

अंक-22 हिन्दी संस्करण वर्ष-11 अक्टूबर -मार्च 2022

प्रोफेसर ब्रजगोपाल
प्रधान सम्पादक
सेवानिवृत्त आचार्य, उच्च शिक्षा
प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड से सम्मानित
profbrajgopal@gmail.com

डॉ. अखिलेश शुक्ल
ऑनरेरी सम्पादक
प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड तथा पं. गोविन्द वल्लभ पंत एवार्ड से सम्मानित
akhileshtrscollege@gmail.com

डॉ. संध्या शुक्ल
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
drsandhyatrs@gmail.com

डॉ. गायत्री शुक्ल
अतिरिक्त निदेशक, सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
shuklagayatri@gmail.com

डॉ. आर. एन. शर्मा
सेवानिवृत्त आचार्य, उच्च शिक्षा, रीवा
rnsharmanehru@gmail.com

सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
की मुख्य शोध पत्रिका

- शोध पत्र में शोध पद्धति तथा शोध में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- शोध पत्र में निष्कर्ष और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची दी जाये। संदर्भ ग्रंथों का विवरण पूरा दिया जाये। लेखक का नाम, वर्ष, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का विवरण, प्रकाशक का स्थान और पृष्ठ संख्या आदि का विवरण दिया जाना चाहिए।
- शोध पत्र माईक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में टाइप किया हुआ होना चाहिए। (नोट- पेज मेकर की फाइल, पी.डी.एफ. फाइल, स्कैन मैटर आदि में कदापि शोध पत्र न भेजें) शोध पत्र हिन्दी लिपि में कृतिदेव या देवलिस फांट 010(फॉन्ट साइज 14, स्पेस डबल, मार्जिन ए-4 साईज के कागज में चारो तरफ 1 इंच) में भेजा जाना चाहिए।
- शोध पत्र के साथ यह घोषणा अवश्य संलग्न करें कि शोध पत्र मौलिक है तथा इसे कहीं अन्यत्र प्रकाशनार्थ प्रेषित नहीं किया गया है।

सर्वप्रथम शोध पत्र ई-मेल द्वारा भेजें-

- **researchjournal97@gmail.com,**
- **researchjournal.journal@gmail.com**
- शोध पत्र की स्वीकृति की सूचना सम्पादकीय कार्यालय द्वारा लेखक को ई-मेल एवं दूरभाष द्वारा प्रदान की जाती है।

© सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज

एक अंक रुपये 500.00	-सदस्यता शुल्क -	
अवधि	व्यक्तिगत सदस्यता	संस्थागत सदस्यता
वर्ष एक	2000-00	2500-00
वर्ष दो	2500-00	4000-00

सदस्यता शुल्क की राशि गायत्री पब्लिकेशन्स के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच-रीवा सिटी (आईएफएस कोड 0004667 MICR Code 486002003) के खाता क्रमांक 30016445112 में जमा की जाय, नगद जमा की स्थिति में 75 रु. अतिरिक्त बैंक चार्ज जोड़ा जाय।

प्रकाशक: गायत्री पब्लिकेशन्स
रीवा- 486001 (म.प्र.)

मुद्रक: ग्लोरी ऑफसेट
नागपुर

संपादकीय कार्यालय

186/1, विन्ध्य विहार कालोनी
रीवा- 486001 (म.प्र.)
E-mail- researchjournal97@gmail.com, researchjournal.journal@gmail.com
www.researchjournal.in
दूरभाष - 7974781746

रिसर्च जरनल में प्रस्तुत किये गये विचार और तथ्य लेखकों के है, जिनके विषय में सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं है। रिसर्च जरनल के सम्पादन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी रखी गई है, किन्तु किसी त्रुटि के लिए सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं है। सम्पादन का कार्य अव्यावसायिक और ऑनरेरी है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र, रीवा जिला रीवा (म.प्र.) रहेगा।

अनुक्रमणिका

01.	महिला पुलिस की पारिवारिक एवं सामाजिक प्रस्थिति (रीवा संभाग के विशेष संदर्भ में समाजशास्त्रीय अध्ययन) **अखिलेश शुक्ल, प्रियंका तिवारी**	09
02	भारतीय ग्रामीण समाज में जजमानी व्यवस्था का महत्व: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन **मीरा कुमारी**	20
03	शिक्षित एवं अशिक्षित कामकाजी महिलाओं के आत्मविश्वास का तुलनात्मक अध्ययन (रीवा नगर के विशेष संदर्भ में) **शशांक पाण्डेय, प्रीतम सिंह, किरण पटेल**	26
04	कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हुये युवकों कि मनोसामाजिक समस्याओं का अध्ययन (रीवा नगर के विशेष संदर्भ में) **शालिनी शर्मा, सुनीत कुमार द्विवेदी, आशीष सिंह पटेल**	34
05	कोविड-19 के दौरान कामकाजी महिलाओं पर घरेलू हिंसा का प्रभाव (रीवा नगर के विशेष संदर्भ में) **रुचि सिंह**	41
06	स्वास्थ्य पर राज्य के सार्वजनिक व्यय के प्रभाव का अध्ययन **मेघा डड्सेना, ए. के. पाण्डेय**	48
07	किन्नरों की सामाजिक स्थिति: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण **अंजू शुक्ला**	53
08	महिला अपराधिता "प्रकृति और पुनर्वास" **गजानन मिश्र**	58
09	भ्रष्टाचार (भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक सामाजिक विश्लेषण) **रश्मि दुबे**	67
10	भ्रष्टाचार एवं कालाधन: एक वैश्विक समस्या का अध्ययन **अनिल द्विवेदी**	74
11	विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास **रवेन्द्र राजपूत**	85
12	आर्टिकल 370 और कश्मीर समस्या **अर्चना दीक्षित**	101
13	कृषि वित्तीयकरण तथा रूपांतरण (सीधी जिले के विशेष संदर्भ में (1991 से 2010 तक) **सौरभी गुप्ता**	109
14	स्वतंत्रता-संग्राम में दलित नायकों का योगदान: एक समीक्षात्मक अध्ययन **आशीष कुमार**	122
15	महात्मा गांधी का समाज के उत्थान में भूमिका **सिद्धार्थ मिश्र**	129
16	अकबर की सेना में राजपूत सैन्य अधिकारियों का योगदान **मीनाक्षी सिंह कर्चुली**	133
17	अकबर एवं जहांगीर कालीन धार्मिक नीति: उत्तर भारतीय समाज के विशेष संदर्भ में **प्रियंका भारती**	138
18	मैहर तहसील का पुरातत्व **धीरजलाल विश्वकर्मा**	148

19	मनरेगा में महिलाओं के समावेशी विकास का अध्ययन **मिर्जा शहाब शाह, सद्दाम खान, रामलखन सिंह**	151
20	छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक व्यय का शिक्षा पर उसके प्रभाव का अध्ययन **मेघा डड्सेना, ए. के. पाण्डेय**	157
21	छत्तीसगढ़ राज्य के योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय का तुलनात्मक विश्लेषण **शशिकिरण क्षुजूर**	162
22	भारत की राजकोषीय नीति की प्रवृत्तियाँ: वर्तमान सन्दर्भ में **क्षुमुद श्रीवास्तव**	168
23	कृषि विपणन की दशा का समीक्षात्मक मूल्यांकन (रीवा जिले के विशेष सन्दर्भ में) **पुरूषोत्तम प्रसाद बाल्मीकि, भानु साहू**	175
24	जनपद प्रतापगढ़ के औद्योगिक विकास में आंवला (एक भौगोलिक अध्ययन) **इंदु मिश्रा**	182
25	भारतीय लोक कला के विविध आयाम **उपासना राज**	187
26	भारतीय परम्पराओं में बसी विभिन्न प्रकार की लोक कलाएँ **निशा गुप्ता**	194
27	दिव्यांग तथा संगीत का परस्पर संबंध **निशा पाठक**	200
28	महाकवि कालिदास की कृतियों में संगीत **निष्ठा शर्मा**	205
29	संगीत में विद्युतीय उपकरणों की भूमिका **खुशब**	212
30	कोविड-19 के ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा- चुनौतियां **स्मिता मसीह**	217
31	उच्च शिक्षा में परिवर्तन एवं अवलोकन **प्रत्यूष वत्सला द्विवेदी**	225
32	मुगल काल में राजपूतों की सामाजिक स्थिति **मीनाक्षी सिंह कर्चुली, एस.एस. चौहान**	230
33	उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति एवं विकास **निशा राठौर, जितेन्द्र सिंह**	236
34	राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 1986 की शैक्षिक जगत को देन **रवेन्द्र राजपूत**	242
35	प्रवासी साहित्यिक परिदृश्य मे उषा प्रियंवदा का साहित्य **अमित शुक्ल**	255
36	हिन्दी मीडिया सामाजिक उपादेयता संकट और संम्भावनाएँ **सूरजमुखी**	262
37	रामभक्ति व विधायक भावनाओं का आकर ग्रन्थ-रामचरित मानस **सुनीता द्विवेदी**	270
38	'गो' पद की अर्थ मीमांसा **ज्योत्स्ना द्विवेदी**	276
39	मृच्छकटिक कालीन सामाजिक प्रथा एवं क्षुरीतियाँ **लक्ष्मीकान्त मिश्र, कमलेश क्षुमार थापक, आदित्य तिवारी**	280

UGC Journal No. (Old) 2138,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 22, Hindi Edition, Year-11, Oct.-March 2022

भ्रष्टाचार
(भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक सामाजिक विश्लेषण)

• रश्मि दुबे

सारांश- भ्रष्टाचार भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था में इस सीमा तक अपनी जड़ें जमा चुका है कि कदम-कदम पर लोकतन्त्र के सिद्धान्तों एवं आदर्शों की अवहेलना की जाती है। सिद्धान्त के रूप में संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रजातन्त्र की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाए रखेंगे। संसद से यह आशा की जाती है कि वह कार्यपालिका को अनियन्त्रित होने से रोकेगी, न्यायपालिका से राज्य की सत्ता से आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की आशा की जाती है और संचार माध्यमों से सार्वजनिक जीवन में घूसखोरी तथा अन्याय को रेखांकित करने की अपेक्षा की जाती है। यदि भारतीय प्रजातन्त्र के अस्तित्व को बनाए रखना है तो आवश्यक है कि ये कार्य पूरे किए जाए।

मुख्य शब्द- भ्रष्टाचार, राजनीति, भारतीय दंड संहिता

परिचय- भ्रष्टाचार से आशय है-भ्रष्टाचार अथवा भ्रष्ट-व्यवहार। यह सर्वविदित है कि समाज और शासन की व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित होने के लिए सार्वजनिक हित में व्यवहार के कुछ आदर्श प्रतिमान सुस्थापित हैं। उसमें नैतिकता, कर्त्तव्यनिष्ठा, पद एवं सत्ता का सदुपयोग मुख्य रूप से सन्निहित किए जा सकते हैं। ये प्रतिमान स्वस्थ समाज की परम्पराओं पर आधारित हैं। समाज रूपी व्यवस्था की सुदृढ़ता इन पर ही निर्भर है। अतएव प्रत्येक समाज इनका पक्षधर है। ये प्रतिमान ही नैतिक आदर्शों के प्रतिरूप माने जाते हैं। इनका पालन ही नैतिक आचार अथवा सदाचार है तथा उल्लंघन भ्रष्टाचार है। आशय यह है कि उपरोक्त मान्य एवं सुस्थापित नैतिक आदर्शों के विपरीत किए जाने वाले व्यवहार भ्रष्टाचार के द्योतक हैं। अनैतिकता, असहिष्णुता, कर्त्तव्यउपेक्षा एवं निजी हित के लिए पद एवं सत्ता का दुरुपयोग आदि इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। कन्साईज आक्सफोर्ड शब्दकोश में भ्रष्टाचार का अर्थ है, "रिश्वत अथवा अवैधानिक और अनुपयुक्त साधनों से गलत या अनैतिक कार्य की ओर उन्मुख होना तथा सही और नैतिक कार्यों से विरत् होना भ्रष्टाचार है।"[1]

• प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोतर, उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

उपरोक्त उद्धरण के आलोक में, जहां भ्रष्टाचार को अनैतिकता से जोड़ा गया है, यह कहना ज्यादा सार्थक है कि वास्तव में अनैतिकता भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। इसलिए भ्रष्टाचार को सही अर्थों में समझने के लिए नैतिकता को समझना अनिवार्य प्रतीत होता है। नैतिकता का शाब्दिक अर्थ वैचारिक निर्धारण और अपने कर्तव्यों का समुचित पालन करते हुए अधिकारों का उचित उपयोग है। नैतिकता पर अर्नेस्ट हेमिंग्वे का वक्तव्य है कि "जिस काम को करने के बाद आप सुखद अनुभव करें वह नैतिक और जिसे करने के बाद आप बुरा महसूस करते है, वह अनैतिक है।"[2]

हेमिंग्वे का 'सुख' सम्बन्धी कथन भौतिक सुख नहीं बल्कि आत्मिक सुख को प्रतिध्वनित करता है। यह आत्मिक सुख स्वहित नहीं बल्कि पर-हित एवं सार्वजनिक हित सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार भ्रष्टाचार का एक सामान्य आशय यह लगाया जा सकता है कि वह व्यवहार जो सार्वजनिक हित में हो, स्वहित का पोषक न हो तथा सुस्थापित मान्यताओं के अनुकूल हो, सदाचार के रूप में जाना जाएगा। लेकिन ऐसा व्यवहार जो स्वहित का पोषक हो, सार्वजनिक हित का विरोधी हो, लोगों को कष्ट देने वाला हो एवं सुस्थापित मान्यताओं का उल्लंघन करता हो, भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। नैतिक आदर्शों की उपेक्षा एवं सदाचार का अभाव, भ्रष्टाचार संरक्षण (जो साम्प्रदायिकतावाद, जातिवाद, भाई-भतीजावाद एवं पक्षपात पर आधारित होता है) एवं अनुचित प्रभाव के रूपों में अभिव्यक्त होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सम्पूर्णानन्द ने कहा है कि "प्रशासकीय कार्य के सम्पादन में एक के द्वारा दूसरे को धन देना ही सच्चरित्रता के अभाव को अभिव्यक्त करने वाला एकमात्र रूप नहीं है। यह अनेक रूप धारण कर सकता है, जो किसी भी प्रकार कम निन्दनीय नहीं होता। उदाहरण के लिए संरक्षण द्वारा एक व्यापक क्षेत्र का निर्माण किया जा सकता है, जो दायित्वों एवं त्रुटियों की दृष्टि से घातक बुराई का स्रोत सिद्ध हो सकता है। जिसे हम बुरा समझते हैं उसके प्रति आंखें मूंद लेना, अपराधी को अनैतिक कार्यों की छूट देना और अपने दुष्कृत्यों के लिए उसे अपने दण्ड से बचने देना, पद श्रृंखला में किसी उच्च पदाधिकारी के स्थान पर, जो वास्तव में दोषी है, उसके किसी अधीनस्थ को बलि का बकरा बनाना, गलत सूचना देना या किसी महत्त्वपूर्ण सूचना या तथ्यों को प्रस्तुत न करके उन्हें पूरी तरह या आंशिक रूप में दबाना और तथ्यों को जानबूझ कर गलत निर्णय हेतु प्रस्तुत करना।"[3]

राजनीतिक चिन्तन में, राजनीतिक भ्रष्टाचार के सन्दर्भ में, आज जो सामान्य-सी अवधारणा विकसित हुई है उसके अन्तर्गत यह माना जाने लगा है कि स्वहित की येन-केन-प्रकारेण पूर्ति की भावना राजनीतिक कार्यों का आधारभूत प्रेरणास्रोत है। मैकियावेली के दर्शन में 'हित-पोषण' का यह दृष्टिकोण स्पष्ट परिलक्षित होता है। स्वार्थ संदर्भित चिन्तन का एक पक्ष हॉब्स के राजनीतिक दर्शन में भी देखने को मिलता है। लेकिन दोनों में महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि हॉब्स जहां जन सामान्य के हित पर बल देते हुए उसकी पूर्ति के लिए लेवियाथन जैसे निरंकुश शासक की बात करता है, वहीं मैकियावेली प्रिंस (शासक) के स्वहित पर बल देता है।[4] जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, सामान्यतः, व्यवहार में इसे निजी आर्थिक हित हेतु सरकारी

पद के दुरुपयोग के रूप में देखा जाता है। पद का दुरुपयोग कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने को ही भ्रष्टाचार माना जाता है, क्योंकि यह बहुत स्पष्ट दिखाई देता है तथा उसमें आम आदमी का जीवन शीघ्र प्रभावित होता है। इस तरह वह मंत्री, अधिकारी या सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट है, जो अपनी सरकारी स्थिति का लाभ उठा कर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अनुचित आर्थोपार्जन करता है।[5] भ्रष्टाचार की एक सामान्य-सी परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, कि किसी सार्वजनिक पद पर असीन् किसी व्यक्ति (राजनेता अथवा सरकारी अधिकारी) द्वारा अपने निजी आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए सत्ता का दुरूपयोग करना भ्रष्टाचार कहा जाता है।[6]

राजनीति को विकृत करने में धन तथा भौतिक संसाधनों की तरह नारी सौन्दर्य का प्रयोग के अनेक उदारहण भी समय-समय पर संज्ञान में आते रहे है। इस तरह के अनेक प्रकरणों में यह देखा गया कि सत्ता प्राप्ति की अन्धी दौड़ में सफलता पाने हेतु अनेक राजनीतिक व्यक्तियों ने नारी सौन्दर्य का उपयोग करते हुए अपने राजनीतिक प्रभाव को सफलतापूर्वक बढ़ाया। भारत में राजनीति और राजनेताओं के चरित्र में गिरावट अब आतंक और हिंसा के स्तर तक पहुँच चुकी है। भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री टी. एन. शेषन का कहना है कि, "राजनेता अब मात्र लूट से ही सन्तुष्ट नहीं होते बल्कि वे पुराने विदेशी आक्रमणकारियों की उस शैली में व्यवहार करते है कि यहाँ के वतन को लूटो और उसके बीबी-बच्चों को दास बना लो।"[7] सत्ता के लिए होने वाले निर्वाचनों में अनैतिक साधन अपनाकर चुनाव लड़ना अब आम बात हो गई है। अब तो इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिल चुके है कि राजनीतिज्ञों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निजी लाभ के लिए चुनाव में सरकारी तन्त्र का दुरुपयोग किया जाता है। चुनावों में झूठे वादे करके वोट प्राप्त करना, जनता के बीच धोती, साड़ी, कम्बल तथा शराब वितरित करवा कर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना तथा साथ ही साथ लोगों में पैसे बाँट कर वोट खरीदना गम्भीर भ्रष्टाचार है। यद्यपि राजनेता इसे राजनीति का एक अंग मानते हुए इसे 'राजनीतिक चातुर्य' कहते है, लेकिन वास्तव में यह भ्रष्टाचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं क्योंकि यह सारा खेल राजनेताओं द्वारा अपने पद सम्बन्धी अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए निजी हित के लिए खेला जाता है।[8]

भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय-9 में भ्रष्टाचार को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें उपबन्धित धारा 161 प्रमुखतः लोक सेवकों में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है जिनकी परिधि में घूस अथवा रिश्वत और सहवर्तों अपराध, विधि विरुद्ध कार्य एवं लोक सेवकों के प्रतिरूपण सम्बन्धी कार्य आते हैं। धारा 161 में उपबन्धित है कि वह व्यक्ति भ्रष्टाचार का दोषी माना जाएगा जो, आज किसी अवैध कार्य को करने के लिए या वैध कार्य को अवैध तरीके से करने के लिए या अपराध को दबाने अथवा छिपाने के लिए प्रायः लोक सेवकों को घूस अथवा रिश्वत दी जाती है। यदि कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि घूस अथवा रिश्वत आज जन सामान्य के जीवन का एक अंग-सा हो गया है। घूस अथवा रिश्वत को ही विधिक भाषा में परितोषण कहा जाता है जिसमें सभी प्रकार के अवैतनिक सम्मान एवं अभिलाषाएं सम्मिलित हैं और वैध पारिश्रमिक से भिन्न किसी भी प्रकार का पारितोषण इसके अन्तर्गत आता है। भारतीय

दण्ड संहिता के 161 से 165 ए की धाराओं को समाप्त करके उसके स्थान पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 को प्रवर्तन में ला दिया गया है लेकिन भ्रष्टाचार के संबंध में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दी गई परिभाषा को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 में भी उसी रूप में शामिल किया गया है।[9]

वस्तुत: भ्रष्टाचार भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था में इस सीमा तक अपनी जड़ें जमा चुका है कि कदम-कदम पर लोकतन्त्र के सिद्धान्तों एवं आदर्शों की अवहेलना की जाती है। सिद्धान्त के रूप में संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रजातन्त्र की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाए रखेंगे। संसद से यह आशा की जाती है कि वह कार्यपालिका को अनियन्त्रित होने से रोकेगी, न्यायपालिका से राज्य की सत्ता से आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की आशा की जाती है और संचार माध्यमों से सार्वजनिक जीवन में घूसखोरी तथा अन्याय को रेखांकित करने की अपेक्षा की जाती है। यदि भारतीय प्रजातन्त्र के अस्तित्व को बनाए रखना है तो आवश्यक है कि ये कार्य पूरे किए जाए।[10]

धन आज राजनेताओं के जीवन में प्रभावी भूमिका अदा करने लगा है। विशेषत: चुनावों के पूर्व, उनके मध्य एवं तत्पश्चात् विशेष रूप से सरकारों के बनाने और उन्हें अपदस्थ करने में राजनेता का प्रभाव आज इस तुला पर आंका जाने लगा है कि वह अपने दल के लिए कितना धन एकत्र कर सकता है। धन हमारी राजनीतिक व्यवस्था में आज सभी दुर्गुणों का स्रोत बन गया है। यह वह माध्यम है जो पूरे राजनीतिक तन्त्र को गम्भीरता से प्रभावित एवं विकृत कर रहा है। राजनीतिक तन्त्र में काले धन की सबसे बड़ी आपूर्ति बड़े और मध्यम वर्ग के व्यापारिक घरानों द्वारा जाती है जो सभी दलों को पैसा देते हैं, क्योंकि यथा-स्थिति बनाए रखने में उनका हित है। उद्योग क्षेत्र ने राजनीतिक तन्त्र को भी सभी चुनावों में सभी राजनीतिक दलों को और अनेक स्थानीय दलों को पैसा देकर अपने गिरफ्त में ले लिया है। लाइसेंस-कोटा परमिट राज और प्रत्येक दल के नेताओं द्वारा पैदा किए गए पैसे का परिणाम यह हुआ कि चुनावों में भारी पैसा लगाया जाने लगा। राजनीति में भ्रष्टाचार का पर्याय बने अनैतिक माध्यमों से एवं साधनों से अवैध धन प्राप्त करने की प्रवृत्ति ने अब संस्थागत रूप धारण कर लिया है। उन्हें सम्मान भी प्राप्त हो रहा है। लूट और अपराध, जो निम्न स्तर पर आरम्भ हुए थे, वे अब नई दिल्ली, मुम्बई और अन्य प्रमुख राज्यों की राजधानियों में उच्च स्तर पर बढ़कर विशालकाय राक्षस की तरह हो गए है। भारत वर्ष में भाई-भतीजावाद के पक्षपोषण करने वालों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जब तक पिछड़े वर्ग अथवा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के सदस्य को, जोकि सुविधाविहीन है, उसके किसी सम्बन्धी अथवा उसी जाति के अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा सहयोग नहीं प्रदान किया जाएगा तब तक वे अपने से ज्यादा सुविधा एवं साधन सम्पन्न प्रतियोगियों के रहते कोई अच्छा पद कैसे प्राप्त कर सकेंगे। भारतीय राजनीति में तो इस धारणा ने एक आम समर्थन और वैधानिक स्थिति भी प्राप्त कर ली है। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न सरकारी नियुक्तियों में मंत्रियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपने सगे-सम्बन्धियों अथवा जाति के लोगों की नियुक्तियों को वरीयता दी जाती है, लेकिन कभी भी उनका यह आचरण गम्भीर बहस का मुद्दा नहीं बन पाता और न ही जनमानस में

उत्तेजना का संचार करता है। सामान्य जनता इसके प्रति उदासीन-सी लगती है; और अब तो आम लोगों ने भी सम्प्रदाय तथा रक्त-सम्बन्धों को भुनाना प्रारम्भ कर दिया है।[11]

वर्तमान भारत के लिए भ्रष्टाचार से अधिक प्रासंगिक अन्य विषय की कल्पना शायद ही की जा सके। समाज के हर स्तर और क्षेत्र को भ्रष्टाचार प्रभावित कर रहा है। राजनीति-प्रशासन के गठजोड़ में तीव्र से व्याप्त हो रहे भ्रष्टाचार ने, जिसने धन और प्रतिष्ठा के पर्याय के रूप में स्थान ग्रहण कर लिया, विगत कुछ दशकों से समाज के हर वर्ग में अपनी जड़ों को मजबूती से जमा लिया।[12] भ्रष्टाचार के बारे में एडवर्ड गिब्बन का मत है कि, भ्रष्टाचार संवैधानिक स्वतन्त्रता का लक्षण है।[13] यह कहना कठिन है कि महान् इतिहासकार गिब्बन का यह वक्तव्य व्यंग्यात्मक है या विश्लेषणात्मक। जो भी हो भ्रष्टाचार के लिए अधिकतम संवैधानिक स्वतन्त्रता न तो किसी देश में उपलब्ध है और न ही इसकी बहुत आशा की जा सकती है।

भारत में भ्रष्टाचार को एक नया आयाम दूसरी पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के दौरान प्राप्त हुआ। इस योजना में भारी पैमाने पर सार्वजनिक धन के व्यय का प्रावधान था। जिसने भारतीय इतिहास में पहली बार राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और नौकरशाह को एक-दूसरे के निकट ला खड़ा किया क्योंकि इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय आय में समुचित वृद्धि और उद्योग-धन्धों पर विशेष बल आदि बातों को लक्ष्य बनाकर कार्य प्रारम्भ किया गया।

सरकार ने भ्रष्टाचार की समस्या के बारे में कुछ गम्भीरता दिखाई। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1947 को अधिनियमित किया गया और उन्हीं वर्षों में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डी.एस.पी.ई.) की स्थापना की गई। यह भ्रष्टाचार विरोधी संगठन बाद में 1963 में स्थापित केन्द्रीय जांच ब्यूरो का अंग बन गया। सरकारी अधिकारियों को ईमानदार बनाए रखने के लिए कई और कानूनी एवं प्रशासनिक उपाय किए गए। इन उपायों में भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम में यह परिवर्तन शामिल है कि, "अपनी ज्ञात वैध आय के अनुपात से अधिक सम्पत्ति रखने के लिए अरोपित अधिकार को ही अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा।"[14] दुर्भाग्य से इन वैधानिक व्यवस्थाओं के बावजूद भ्रष्टाचार काफी तेजी से बढ़ा और यह उस स्तर पर पहुंच गया जिसकी कल्पना संथानम कमेटी ने उन वर्षों में नहीं की थी। भारत में सामान्यत: यह देखा जाता है कि स्वयं व्यवस्था अधिकारियों पर भ्रष्ट होने के लिये दबाव डालती है।[15] माना कि नियम कानून भ्रष्टाचार को रोकना चाहते है लेकिन यह भी कहा जाता है कि कानून सम्मत कार्य करने वाले कर्मचारी प्रशासन को अपंग बना देते है। कई कानून भारी-भरकम, भ्रामक और अव्यावहारिक है। मुख्य बात यह है कि नियमों को प्रत्येक घटना पर सजग होना चाहिए लेकिन अक्सर कोई न कोई कमी निकाल ली जाती है। नए नियम कानून की अधिकता अधिकारियों को केन्द्रोन्मुख कर व्यवस्था को नकारा बना देती है। भारी भरकम कानूनों के चलते प्रशासनिक प्रक्रिया अनिश्चित हो जाती है और विलम्ब को नजरअन्दाज कर दिया जाता भार के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों का अपने दायित्व से मुक्त हो पाना असम्भव हो जाता है। इसलिए वे अक्सर नियम कानूनों की परवाह नहीं करते। उदाहरण के लिए, "चूंकि कोई भी ठेकेदार नुकसान में कार्य नहीं करना चाहता इसलिए

वह इंजीनियर को गलत विवरण देता है। जब बजरी निकाली जाती है तो उसे मिट्टी बता देता है, जब मिट्टी खोदी जाती है तो उसे कद्दार मान लिया जाता है और यदि वह कद्दार होता है तो उसे पत्थर मान लिया जाता है। छीजन स्थिति को और भी दुष्कार बना देता है। ठेकेदार अनावश्यक नुकसान उठाने को तैयार नहीं होता। राजनेता भी उनसे धन लेना चाहते है। अन्ततः इंजीनियर को गलत विवरण देना पड़ता है। यदि कोई ईमानदार ऐसा नहीं करता तो उसे डराया-धमकाया जाता है। अर्थात् अव्यवहारिक नियम कानून और राजनैतिक हस्तक्षेप भ्रष्टाचार के विस्तार की पृष्ठभूमि तैयार करते है।[16]

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जो नियम, कानून जाहिर तौर पर जनता के हित के लिए थे, वे व्यक्ति के दैनिक व्यवहार में उन लोगों के हित पोषक बन गए जिनके हाथ में सत्ता थी और जिनके मित्र रिश्तेदार और करीबी थे। देश और जनता की सम्पत्ति को वे अपनी सम्पत्ति के रूप में उपयोग करते हुए एक समानान्तर सत्ता चलाने लगे। उनकी कारगुजारी कानून सम्मत न होने और प्रतिबन्ध लगने योग्य होने के बावजूद आज समाज में स्वीकार्य है। यह निर्विवाद है कि आज राजनेता, बड़े नौकरशाह और उनके करीबी रिश्तेदार तथा मित्र सन्देह के घेरे में है।[17]

आज भारत में भ्रष्टाचार एक सर्वव्यापी समस्या बन कर रह गया है। जीवन का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। यह वर्तमान भारत में जीवन शैली बन चुका है। इसकी स्वीकार्यता सामाजिक क्रियाकलापों में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है और वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष में इसके समाधान के लक्षण दूर-दूर तक अन्धकार का गर्भ में है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता, इस समय भारत में भ्रष्टाचार की समस्या विकट अवश्य है तथा जहां भ्रष्ट लोग कम होते हैं वहां यह व्यक्तिगत समस्या होती है और भ्रष्टों से व्यक्तिगत स्तर पर निपटा जा सकता है किन्तु जहां भ्रष्टाचार पूरे समाज में फैला हो, जैसा कि आज हमारे देश में है, तो पूरी व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता होती है। कुछ कोशिश से ही देश को इस बुराई से मुक्त नहीं कराया जा सकता। इससे जूझने के लिए राष्ट्रव्यापी संकल्प, व्यापक जन जागृति एवं आम जनता की सोच को बदलने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

1. कन्साइज आक्सफोर्ड शब्दकोश, पृष्ठ 45
2. श्रीवास्तव, पी. बालेश्वरी, नैतिकता, राजनीति और भारत, पालिटिक्स इंडिया, 1998
3. संपूर्णानंद, इन्टाग्रीटि इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बुलेटिन आफ द इन्स्टीट्यूट टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पटना यूनिवर्सिटी, 1957
4. डोविंग आर.एम. रियलीज्म एंड इन्टरेस्ट एज पोलिटिकली थीम्स, रस्किन हाउस, म्यूजियम स्ट्रीट, 1972
5. पत्रिका, धर्मयुग, 16 अगस्त, 1994
6. भार्गवा, जी.एस., करप्सन पार्लीटिकल इन इंडिया, पापुलर बुक सर्विसेस, नई दिल्ली, से उद्धत
7. शेषन टी.एन., भारत पतन की ओर, राजपाल एण्ड संस, नई दिल्ली, 1995
8. अग्रवाल, बिहारी प्रसाद, भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2005

9. मुखर्जी संदीप, यू.पी. क्रिमिनल माइनर एक्ट, किन्द पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद, 1996
10. अग्रवाल, बिहारी प्रसाद, भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2005
11. वही
12. धर्मयुग सितम्बर 1995 पृष्ठ 20
13. वही पृष्ठ 21
14. अग्रवाल, बिहारी प्रसाद, भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2005
15. इन्दरसेन, पी.वी, भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष (लेख) पोलिटिक्स इंडिया
16. वही
17. सी.बी.मुथम्मा, भ्रष्टाचार के सुधार की आवश्यकता (लेख) पालिटिक्स इंडिया, 1998

सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज
रीवा- 486001

Registered under M.P. Society Registration Act, 1973
Reg. No. 1802, Year 1997

ISSN 0975-4083
9 770975 408002

Editor- Professor Braj Gopal, Published by Dr. Gayatri Shukla on behalf of Gayatri Publications Rewa- 486001(M.P.) and Printed at Glory Offset, Nagpur